राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1225/2024

श्रीमती सुनीता मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा।
3. श्री पुरूषोतम पाराशर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कालवान, सिकराय।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.03.2024
आदेश की दिनांक : 09.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राजेश कुमार निगम, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत, पाडली, सिकराय, दौसा में कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत, पाडली, सिकराय, दौसा में कार्यरत है और प्रत्यथी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण ग्राम पंचायत, करोडी सिकराय, दौसा में किया गया है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। उनका कथन है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया हैं। उनका यह भी तर्क है कि स्थानांतरण आदेश पारित किये जाने से पूर्व जिला परिषद की स्थापना समिति/पंचायत समिति की स्थापना समिति द्वारा बैठक नही की गई और बिना बैठक के ही स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 289(2) के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलार्थी के पति

राजकीय सेवा में कार्यरत हैं और पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर उन्हें स्थानांतरण नीति के अनुसार एक ही स्थान अथवा नजदीकी स्थान पर पदस्थापित किया जाना चाहिये और इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया स्थानांतरण आदेश सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत, पाडली, सिकराय, दौसा में कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी का स्थानांतरण पंचायत समिति के अंदर ही किया गया है और इस प्रकार नियमों को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो सही एवं नियमानुसार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत, पाडली, सिकराय, दौसा में कार्यरत है और प्रत्यथी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण ग्राम पंचायत, करोडी सिकराय, दौसा में किया गया है। जहां तक स्थानांतरण आदेश पारित किये जाने से पूर्व जिला परिषद की स्थापना समिति/पंचायत समिति की स्थापना समिति की अनुमोदन के बिना स्थानांतरण आदेश जारी किये जाने का प्रश्न है, कार्यालय टिप्पणी दिनांक 21.02.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आलोच्य स्थानांतरण आदेश जारी किये जाने से पूर्व जिला स्थापना समिति/पंचायत समिति की बैठक में अनुमोदन लिया गया है, जिसमें अपीलार्थी का नाम भी अंकित है और इस प्रकार नियमों का पालन करते हुये अनुमोदन उपरांत स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति के अंदर ही किया गया है। यह नियोक्ता का

अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें जनहित में कहां पर ली जानी हैं। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य